

कार्यालय-जिला समाज कल्याण अधिकारी महाराजगंज।

ई-टेन्डर नोटिस

वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद महाराजगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत विवाह के समय कन्या को प्रदान की जाने वाली उपहार सामग्री (प्रारूप संलग्न) की की आपूर्ति के लिए सक्षम जीएसटी जिस्टर्ड व अनुभवी निविदादाताओं से ई-निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) ई-टेन्डर पोर्टल पर निम्न विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है।

निविदा की आरम्भिक तिथि व समय	
निविदा की अन्तिम तिथि व समय	
निविदा खोले जाने की तिथि व समय	
अनुमानित लागत (समस्त कर व आपूर्ति स्थान तक)	62500000.00 (रु०-छः करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
निविदा की फीस	30000.00 (रु०-तीस हजार मात्र) डी०डी० जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, महाराजगंज के पक्ष में देय होगी जो वापस जो वापस नहीं होगी।
अर्नेस्ट मनी (ई०एम०डी०)	625500.00 डी०डी०/एफ०डी०आर० जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, महाराजगंज के पक्ष में देय होगी जो निविदा प्रक्रिया के उपरान्त वापस होगी।
जमानत धनराशि	अनुबन्ध लागत का 5 प्रतिशत (एफ०डी०आर० जो जिला समाज कल्याण अधिकारी महाराजगंज के पक्ष में देय होगी।)


वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जनपद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत 2500 जोड़ों के विवाह हेतु विवाहित कन्याओं को उपहार सामग्री के वितरण हेतु संस्था/फर्म का चयन किये जाने हेतु बिड कराया जाना है, जिसमें बिड की शर्तें निम्नवत् है:-


- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में सामूहिक विवाह में विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाने वाली वैवाहिक उपहार सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसमें प्रति जोड़े के उपहार सामग्री पर अधिकतम रु० 25,000/- व्यय होना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संभावित 2500 विवाह कराया जाना है, जो आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकता है। निविदा की अनुमानित लागत 6.25 करोड़ रुपये है।
- चयनित फर्म को शासनादेशानुसार वैवाहिक जोड़ों को उपहार सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य है। समय-समय पर शासन अथवा निदेशालय स्तर से पारित आदेश/निर्देश स्वतः प्रभावी होंगे, जिसके अनुसार चयनित फर्म को आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
- वैवाहिक उपहार सामग्रियों के कुल मूल्य के आधार पर न्यूनमत निविदा स्वीकार की जाएगी। उपहार सामग्री के प्रत्येक वस्तु के अलग-अलग मूल्य पर नहीं। ई-टेन्डर पोर्टल पर ही प्रारूप में प्रति जोड़ा दर/लागत अंकित करना होगा। तकनीकी रूप से अर्ह फर्मों की वित्तीय बिड पर विचार किया जाएगा।
- आयोजन में सम्पन्न हुए विवाहित जोड़ों के सापेक्ष ही भुगतान किया जाएगा। भुगतान के सम्बन्ध में शासन/निदेशालय स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश स्वतः प्रभावी होंगे।
- सामूहिक विवाह वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया जा सकता है, जिसके अनुसार चयनित फर्म को आपूर्ति करना अनिवार्य है, सामग्री आपूर्ति हेतु अलग से कोई भाड़ा देय नहीं है।
- फर्म अथवा फर्म स्वामी किसी विभाग/सरकारी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने, दिवालिया घोषित नहीं होने, कोई वाद लम्बित नहीं होने, का रु० 100 का नोटरी शपथ-पत्र अपलोड करना होगा।
- निविदादाता द्वारा निविदा/बिड में उल्लिखित नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर ही निविदा में समस्त दस्तावेज अपलोड किया जाए। निविदा/बिड के सबमिशन का समय समाप्त होने के उपरांत कोई दस्तावेज/अभिलेख स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- निविदादाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की सामग्री अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी, वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म द्वारा आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नहीं कर सकता।
- निविदादाता द्वारा निविदा/बिड संख्या सहित समस्त शर्तों/ए०टी०सी० को स्वीकार करने का रु० 100 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र पृथक से अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदा के पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले समस्त प्रमाण-पत्रों पर निविदादाता के स्वप्रमाणित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। फर्म द्वारा प्रेषित सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण, आई०एस०ओ 9001:2015, 14001:2015 एवं 45001:2018 प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।


५९


11. वर्ष 2022-23, 2023-24, व 2024-25 में फर्म का विगत तीन वर्ष का औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम 80 प्रतिशत (रू0 5 करोड़) होना अनिवार्य है। जो सी0ए0 द्वारा प्रमाणित यू0डी0आईएन0 सहित होना अनिवार्य है। जिसके समर्थन में सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट/सी.ए. प्रमाण पत्र उक्त वित्तीय वर्षों का लगाना अनिवार्य है।
12. निविदादाताओं को अपने फर्म का उपरोक्त विगत 03 वर्षों का आयकर रिटर्न, पैन कार्ड तथा उत्तर प्रदेश राज्य का जी0एस0टी0 पंजीकरण, जी0एस0टी0 विभाग द्वारा प्रदत्त नवीनतम अदेय प्रमाण पत्र एवं जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र यथा जी0एस0टी0आर0-3बी0 अपलोड करना अनिवार्य है।
13. निविदादाता को विगत 03 वर्षों का सी0ए0 द्वारा सत्यापित आई0टी0आर0, बैलेन्स शीट एवं विगत वर्ष में न्यूनतम 06 माह का जी0एस0टी0 रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग में उपहार सामग्री आपूर्ति/वितरण के कार्य में फर्म का उपरोक्त विगत 03 वर्षों के अनुभव हेतु निविदा मूल्य के 50 प्रतिशत का एक कार्यादेश अथवा 40 प्रतिशत के दो कार्यादेश अथवा 30 प्रतिशत के तीन कार्यादेश अपलोड करना अनिवार्य है।
15. अधिक आपूर्ति के दृष्टिगत एम0एस0एम0ई0/स्टार्टअप फर्मों को टेण्डर फीस ई0एम0डी0, अनुभव व टर्नओवर में कोई छुट अनुमन्य नहीं है।
16. फर्म को अर्नेस्ट मनी (ई0एम0डी0) के रूप में निविदा लागत का 1 प्रतिशत (रू0 625500.00) की डी0डी0/एफ0डी0आर0 जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, महाराजगंज के पक्ष में हो, अपलोड करना अनिवार्य है। अर्नेस्ट मनी की हार्ड कॉपी बिड आवेदन करने की अन्तिम तिथि के 05 दिवस के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं होती है उनकी अर्नेस्ट मनी की धनराशि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र देने पर निविदा प्रक्रिया पूरी होने पर वापस कर दी जायेगी। निविदादाता को अर्नेस्ट मनी (ई0एम0डी0) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निविदादाता को अर्नेस्ट मनी (ई0एम0डी0) में छुट अनुमन्य नहीं है। ई-निविदा फीस रू0-30000.00 डी0डी0 जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, महाराजगंज के पक्ष में हो, अपलोड करना अनिवार्य है। फीस की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी महाराजगंज के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
17. स्वीकृत निविदादाता द्वारा जमानत राशि के रूप में निविदा लागत के रूप में 5 प्रतिशत (रू0 31.25 लाख) की धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी, महाराजगंज के पक्ष में बन्धक एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करना अनिवार्य है, जो नियमानुसार चयनित फर्म द्वारा अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के उपरांत वापस किया जाएगा। निविदादाता द्वारा जमा धरोहर धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
18. स्वीकृत निविदादाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्य करने से यदि इन्कार किया जाता है या उपहार सामग्री की गुणवत्ता व मानक में कोई भी कमी पायी जाती है अथवा ससमय आपूर्ति नहीं की जाती है, तो जमानत की धनराशि शासकीय पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा अर्थदण्ड या ब्लैक लिस्ट करने के साथ अन्य विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
19. टेक्निकल बिड में सफल बिडर की ही फाईनेंसियल बिड खोली जायेगी। निविदा समिति/जिला समाज कल्याण अधिकारी, महाराजगंज सबसे कम दर वाले निविदा को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है, निविदा को पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा समिति/जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि स्वीकृत निविदादाता द्वारा कार्य करने से मना किया जाता है तो नियमानुसार फर्म के विरुद्ध कार्यवाही के साथ-साथ अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
20. बिना कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार निविदा समिति/जिलाधिकारी, महाराजगंज को होगा। किसी भी प्रकार के वाद का निस्तारण मा0 न्यायालय, जनपद-महाराजगंज के अधीन होगा।
21. स्वीकृत निविदादाता फर्म को आयोजन में सम्मिलित होने वाले जोड़ों की संख्या के आधार पर आवश्यक समुचित व्यवस्था ससमय करना होगा। आयोजन हेतु सामग्री की संख्या/मात्रा सफल आयोजन के दृष्टिगत ससमय उपलब्ध कराना होगा।
22. निविदा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2027-28 में नये निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक स्वीकृत निविदादाता से कार्य कराया जा सकता है।
23. स्वीकृत फर्म को कार्यक्रम की तिथि/व्यवस्था में आकस्मिक बदलाव की स्थिति में आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी।
24. कार्यक्रम स्थल पर उपहार सामग्री उपलब्ध कराने, वितरण करने एवं वापस ले जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। कार्यक्रम स्थल पर चयनित फर्म द्वारा उच्च गुणवत्ता की समस्त सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम स्थल पर जाँच समिति के समक्ष समस्त सामग्री से मिलान करने के उपरांत ही विवाहित जोड़ों को प्रदान किया जाएगा। यदि कोई सामग्री निम्न गुणवत्ता की पायी जाती है, या किसी प्रकार की कमी पायी जाती है, तो नियमानुसार कटौती, अर्थदण्ड एवं अन्य विधिक कार्यवाही किया जाएगा।


25. चयनित फर्म/संस्था को शासनादेश संख्या-113/2025/1282/26-2-2025-1572678 दिनांक 23 मई, 2025 के बिन्दू संख्या-3(ii) में वर्णित सामग्री यथा 1-5 साड़ी ब्लाउज सहित, प्रत्येक 5.50 मीटर(01-ब्राइडल साड़ी/लहंगा, 02-कढ़ाईयुक्त साड़ी, 02-प्रिन्टेड साड़ी सर्वोत्तम गुणवत्ता की), 2-05 पेटीकोट(साड़ी से मैचिंग, सिला हुआ), 3-चुनरी-2.25 मीटर(कढ़ाईयुक्त), 4-पैन्ट का कपड़ा(1.20मी0 ब्राण्डेड, उत्तम गुणवत्तायुक्त), 5-शर्ट का कपड़ा(2.25मी0 ब्राण्डेड, उत्तम गुणवत्तायुक्त), 6-फेंटा/गमछा(2.25मी0), 7- चॉदी की पायल(एक जोड़ी, 65 टंच-30 ग्राम), 8-चॉदी की बिछिया(एक जोड़ी, 65 टंच-10 ग्राम)(नोट-प्रत्येक वधू को चॉदी की पायल व बिछिया के पैकेट के साथ निर्माता द्वारा प्रदत्त मात्रा व शुद्धता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में धनराशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।, 9- डिनर सेट(स्टेनलेस स्टील 8 किग्रा0 पैकिंग के अतिरिक्त।) 10-कुकर-5लीटर(आई0एस0आई0 मार्का युक्त), 11-कढ़ाही-एल्युमीनियम-5कि0ग्रा0, 12-ट्रॉली बैग(ब्राण्डेड, उच्च गुणवत्तायुक्त) 47Bx28Dx66H से0मी0, 13-वैनिटि कीट-01 नग(फाइबर बॉक्स), 14-दीवार घड़ी(ब्राण्डेड एवं उच्च गुणवत्ता), 15- सीलिंग फैन-01नग(1200 एम0एम0 ब्राण्डेड उत्तम गुणवत्तायुक्त), 16- कूल केज-10 लीटर (ब्राण्डेड, उच्च गुणवत्तायुक्त), 17-आयरन प्रेस-1 नग (ब्राण्डेड, उच्च गुणवत्तायुक्त), 18-डबल बेड चादर-01(228.6X254सेमी0), 02 पिलो कवर तकिया के माप का(उच्च गुणवत्तायुक्त), 19-कम्बल-02 सिंगल बेड का (डबल लेयर) प्रत्येक-160 X230 सेमी0(उच्च गुणवत्तायुक्त), 20-गद्दा/मैट्रेस-02 नग सिंगल बेड(पी0यू0 फोम)-कवर के साथ(182.88 X91.44 से0मी0) मोटाई-7.62 से0मी0 प्रत्येक, 21-तकिया-02 नग(45.72 X68.58 से0मी0 प्रत्येक)(उच्च गुणवत्तायुक्त), 22-सिन्होरा, 23-चूड़ी(लाल कांच की)-02 दर्जन, 24- कंगन-04 नग(लाख पदार्थ का) प्रत्येक वधू को विवाह स्थल पर ससमय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
26. उक्त सामग्री की गुणवत्ता व किसी सामग्री के उपलब्ध न होने अथवा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर फर्म के विरुद्ध अर्थदण्ड, ब्लैक लिस्ट करने एवं अन्य दण्डात्मक विधिक कार्यवाही की जाएगी।



जिला समाज कल्याण अधिकारी,
महाराजगंज।



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
महाराजगंज।


उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र,
महाराजगंज।



जिला अल्पसंख्यक क0 अधि0
महाराजगंज।


जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
महाराजगंज।


जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महाराजगंज।


जिला पूर्ति अधिकारी,
महाराजगंज।


जिला पंचायत राक्ष अधिकारी,
महाराजगंज।


वरिष्ठ कोषाधिकारी,
महाराजगंज।


30/05/26
मुख्य विकास अधिकारी,
महाराजगंज।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत धनराशि रु 25000/- में लाभार्थी को देय सामग्री का विवरण

क्र०	सामग्री का नाम	अभ्युक्ति
1	05 साड़ी-ब्लाउज सहित	प्रत्येक 5.50मी० (01ब्राइडल साड़ी/लहंगा, 02 कढ़ाई युक्त साड़ी, 02प्रिंटेड साड़ी सर्वोत्तम गुणवत्ता की)
2	05 पेटीकोट	साड़ी से मैचिंग सिला हुआ
3	चुनरी	2.25मी० कढ़ाई युक्त होना चाहिए
4	पैट का कपड़ा	1.20मी० ब्रांडेड उत्तम गुणवत्ता युक्त
5	शर्ट का कपड़ा	2.25मी० ब्रांडेड उत्तम गुणवत्ता युक्त
6	फेटा या गमछा	2.25मी०
7	चांदी का पायल	1जोड़ी (65टन, 30ग्राम) नोट-प्रत्येक वधू को चांदी की पायल व बिछिया के पैकेट के साथ निर्माता द्वारा प्रदत्त मात्रा व शुद्धता का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8	चांदी का बिछिया	1जोड़ी (65टन, 10ग्राम)
9	डिनर सेट	स्टेनलेस स्टील 8किलोग्राम पैकिंग के अतिरिक्त
10	कुकर	05लीटर आई.एस. मार्क
11	कढ़ाई	एल्यूमिनियम 05किलोग्राम
12	टॉलीबैग	ब्रांडेड उत्तम गुणवत्ता युक्त 47(W)x28(D)x66(H) से०मी०
13	वेनिटी किट	01नग (फाइबर बॉक्स में)
14	दीवार घड़ी	(ब्रांडेड उत्तम गुणवत्ता युक्त)
15	सीलिंग फैन	01नग (1200एम.एम. ब्रांडेड गुणवत्ता युक्त)
16	कूलर जट	10लीटर (ब्रांडेड गुणवत्ता युक्त)
17	आयरन प्रेस	01नग (ब्रांडेड गुणवत्ता युक्त)
18	डबल बेड चादर	01 (228.6x254 से०मी०), 02 पिलो कवर (तकिया माप के सहित) (उत्तम गुणवत्ता युक्त)
19	कंबल	02 सिंगल बेड का (डबल लेयर) प्रत्येक (160x230 से०मी०), (उत्तम गुणवत्ता युक्त)
20	गद्दा/मैट्रेस	02नग सिंगल बेड (PU फोम)कवर के साथ (182.88 सेमी० x 91.44 सेमी०) मोटाई 7.62 सेमी०
21	तकिया	02नग (45.72 x 68.58सेमी०) प्रत्येक (उत्तम गुणवत्ता युक्त)
22	सिन्होरा	01नग
23	चूड़ी	लाल कांच की 02 दर्जन
24	कंगन	04नग (लाख पदार्थ का)



(विपिन कुमार यादव)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
महराजगंज।